

11-08-25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी स्वंप
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी
उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वादपत्र अदम
चैरवी- अदम हाजिरी में इसी स्तर पर लाटिज
किया जाता है। पत्रावली बाद तर्हीब तकमील होकर
दाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर जुरले न्यायालय में
दुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
RAS